हिमाचल प्रदेश सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

निदेशालय अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक मामले

हि0 प्र0 बाल्मिकी कल्याण बोर्ड

की

प्रथम बैठक

हेतु

कार्यवाही

दिनांकः— 10 फरवरी, 2016

समय :— सांय 3:00 बजे

स्थानः— सम्मेलन कक्ष आर्मजडेल भवन,हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश बाल्मिकी कल्याण बोर्ड की प्रथम बैठक जो दिनांक 10 फरवरी, 2016 को सांय 3:00 बजे, सम्मेलन कक्ष, हि0प्र0 सचिवालय शिमला में माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई की कार्यवाही।

बैठक में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की सूची अनुबन्ध ''क '' पर संलग्न है।

सर्व प्रथम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0) हि0 प्र0 ने माननीय मुख्यमन्त्री महोदय एवं अध्यक्ष बाल्मिकी कल्याण बोर्ड, माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री, मुख्य सचिव, हि0 प्र0 सरकार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। तदोपरान्त माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री महोदय द्वारा माननीय मुख्यमन्त्री महोदय तथा सरकारी एवं गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया गया। उन्होंने अपने स्वागत भाषण में माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का अलग से बाल्मिकी कल्याण बोर्ड का गठन करने के लिए धन्यवाद किया तथा अपनी व्यस्तता के बावजूद बैठक निर्धारित करने तथा अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया। उन्होने कहा कि प्रदेश में बाल्मिकी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। उन्होनें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अनुसूचित जाति से सम्बन्धित समुदायों के लिये प्रदेश में चलाई जा रही मुख्यतः अनुवर्ती कार्यक्रम,गृह निर्माण अनुदान, कम्पयुटर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण दक्षता छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास / छात्रवृति योजना हि0प्र0 अनुसुचित जाति अनुसूचित जन जाति विकास निगम के माध्यम से 50 हजार रूपये से 5,00000/– रूपये न्युन्तम 4 प्रतिशत व अधिकतम 6 प्रतिशत ब्याज दर ऋण का भी प्रावधान है। विभागीय उक्त योजनाओं की जानकारी उपरांन्त बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे इस बैठक में अपने समुदाय की विशेष समस्याओं को उजागर करते हुए उनके विकास एवं उत्थान के लिये अपने सुझावों एवं विचारों से अवगत करवायें ताकि माननीय मुख्य मन्त्री महोदय के कुशल नेतृत्व व मार्ग–दर्शन में हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें।

इसके पश्चात माननीय मुख्यमन्त्री महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी मन्त्रीगण, समस्त सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों का इस बैठक में पधारने पर हार्दिक अभिनन्दन किया उन्होंने कहा कि सरकार का अलग से बाल्मिकी कल्याण बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में इस समुदाय की समस्याओं

पर विचार करके उनका समाधान करना है। प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जाति की कुल आबादी 17,29,252 है जो कुल जनसंख्या का 25.19 प्रतिशत है। वर्तमान में प्रदेश में बाल्मिकी समुदाय सहित 56 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में शामिल किया गया है। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा कि अनुसूचित जाति वर्गों को सरकारी नौकरियों में प्र्याप्त प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया जा रहा है क्योंकि प्रदेश का सन्तुलित एवं समग्र विकास तभी सम्भव हो सकता है, जब प्रदेश में सभी समुदायों तथा क्षेत्रों का सम्पूर्ण और सन्तुलित विकास हो। सरकार का प्रयास है कि सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों और सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के बेहतर और समान अवसर मिल सकें। सभी समुदायों एवं वर्गों के कल्याण और विकास की भावना सदैव सरकार का मुख्य लक्ष्य रहा है। उन्होंने सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया साल सभी के जीवन में नई उमंगों व नई तरंगों का संचार करें और सभी नित नई ऊँचाईयाँ छुए यही मेरी कामना है।

इसके उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई तथा बैठक में निम्नलिखित कार्यसूची पर चर्चा हुईः–

कार्मिक विभाग से सम्बन्धित मदें:

1. **सरकार द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय को जो आरक्षण प्रदान किया जाता है, उसका आधा आरक्षण वाल्मीकी जाति को दिया जाए क्योंकि यह जाति सबसे अधिक सामाजिक तौर पर पिछड़ी हुई है और अत्यन्त गरीब हैं।**
   (श्री तरसेम लाल,सोलन)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचननुसार वर्तमान में सेवाओं में किसी जाति विशेष को आरक्षण प्रदान करने बारे कोई प्रावधान नही है। प्रदेश में बाल्मिकी समाज के लोग जो अनुसूचित जाति में सम्मिलित है अनुसूचित जाति वर्ग को प्रदान किए जा रहे आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे है। अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाल्मिकी समाज का अलग से आरक्षण प्रदान करना सम्भव नही है। **जिस पर माननीय सदस्य ने अवगत करवाया कि पंजाब में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (कार्मिक) ने कहा कि ऐसा नहीं है। अतः अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि संविधान में किसी विशेष समुदाय को आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।**

2. **विभिन्न विभागों में सफाई कर्मचारियों को ठेके पर नियुक्त किया जा रहा है इस प्रथा को खत्म कर नियमानुसार अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया जाए तथा जो अंशकालीक कामगार रखे जाते हैं**

वह कोई रोजगार नहीं है तथा इन कामगारों को जो 10 वर्ष तक कार्य करने उपरांन्त दैनिक वेतन भोगी बनाते हैं वह उनके साथ अन्याय है। अतः निवेदन है कि उनकी आधी सर्विस जोडकर यानी 5 वर्ष लगातार मानकर स्थाई किया जाये।

(श्री तरसेम लाल,सोलन)/(राजेशवर पहवाल,मण्डी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि कार्मिक विभाग से प्राप्त सूचनानुसार कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 07–05–2015 को जारी की गई नीति निर्देशों के अनुसार उन अंशकालीन कर्मियों, जिसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालीन जलवाहक भी शामिल है जिन्होंने 31 मार्च, 2015 को लगातार सेवा के आठ वर्ष पूर्ण कर लिए है, की सेवाओं को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित किया जाना है। अंशकालीन कर्मियों की आधी सेवाओं को जोड़कर स्थाई करने बारे कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। ठेकेदारी प्रथा के संदर्भ **अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त ने अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि Out sorsing ठेकेदारी प्रथा अब खत्म है जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि यदि out sorsing से नियुक्ति होती है तो मन्त्री मण्डल के अनुमोदन से ही हो जिसमें उन्हें नियमनुसार न्युन्तम भत्ता मिलना चाहिए।**

अतः उक्त चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।

सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित मदें:

3. **माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अधीन न्यायालयों में भगवान बाल्मिकी के प्रकटोत्सव दिवस पर अवकाश का प्रावधान करवाया जाए क्योंकि इस दिवस पर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बन्द होते हैं।**

(एडवोकेट दिगविजय मल्होत्रा,कांगड़ा)

सचिव(सामान्य प्रशासन) ने बैठक में अवगत करवाया कि उच्चतम न्यायालय के अपने प्रावधान है **जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि गृह विभाग प्रस्ताव तैयार कर उच्चतम न्यायालय को भेजे व सामान्य प्रशासन भी मामला कर तैयार भारत सरकार को पत्र लिखें।**

गृह/ (सामान्य प्रशासन)

वित्त विभाग से सम्बन्धित मदें:

4. **सफाई कर्मचारियों का सरकार की तरफ से जीवन बीमा होना चाहिए क्योंकि सभी अस्वच्छ कार्यो में लगे हुए है। बिमारी लगने का भय हर समय रहता है।**

(श्री तरसेम लाल, सोलन)

उक्त मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त) ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि मामले में विचार विर्मश कर कर लेगें। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि यह एक अच्छा सुझाव है इसे प्राथमिक्ता के अधार पर किया जाऐ।

(वित्त विभाग)

राजस्व विभाग से सम्बन्धित मदें:

5. **हिमाचल प्रदेश के बाल्मिकी समुदाय के जाति प्रमाण पत्र को बनाते समय बाल्मिकी जाति की जगह महेतर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जिस का इन्द्राज राजस्व दस्तावेज में भी हो चुका है। इस कारण विद्यालय व महाविद्यालय में पढ़ रहे छात्र/छात्रा को छात्रवृति एवं सरकार द्वारा अन्य संचालित योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। महेतर शब्द एक व्यवसाय सूचक शब्द है और बाल्मिकी एक जाति सूचक शब्द है। उक्त शब्द को हटाकर प्रमाण पत्र में वाल्मीकी लिखा जाए।**
(श्री मनीश कुमार,मण्डी)

6. **राजस्व विभाग के अभिलेख में बाल्मिकी समुदाय का इन्द्राज जाति के स्थान पर भंगी, चूहड़ा इत्यादि शब्दों में किया जाता है तथा जाति प्रमाण पत्र लेने के समय भी सम्बन्धित राजस्व अधिकारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र में बाल्मिकी जाति के बजाय उक्त शब्दों का उल्लेख करते है, जो कि असभ्य एवं शन के खिलाफ़ है। कृपया भविष्य मेंइन शब्दों का प्रयोग न करके बाल्मिकी जाति का उल्लेख किया जाए तथा राजस्व अभिलेख में गलत दर्ज जाति को दरूस्त किया जाए ताकि समुदाय को आ रही परेशानियों से निजात मिल सके।**

(एडवोकेट दिगविजय मल्होत्रा,ज्वाली कांगड़ा)/(श्री तरसेम लाल, हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि मद क्रम 5 व 6 में जाति प्रमाण–पत्र की दरूस्ती हेतु सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वह अधिनियम 1977 के प्रावधानों में संशोधन कर जाति प्रमाण पत्र में दरूस्ती हेतु आश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चत करें।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

7. **हिमाचल प्रदेश के पिछड़ा वर्ग व बाल्मिकी समुदाय को जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, को दो बिस्वा जमीन हिमाचल प्रदेश में कहां–कहां दी गई है ब्यौरे सहित अवगत करवाऐं।**
(श्री सोहन लाल, पूर्व महापौर,नगर निगम शिमला)
8. **बाल्मिकी समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों/कस्बों में हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने से पूर्व तथा हिमाचल प्रदेश राज्य बनने से पहले से यहां रह रहे हैं। लेकिन दुःख से लिखना व पूछना पड़ रहा है कि समाज के अधिकत्तर परिवार अभी भी अनाधिकृत आवासों में रह रहे है, इनके पास अभी कोई जमीन व मकान नहीं है जिस कारण यह गरीब हमेशा भय में रहते है।**

क्योंकि उच्च न्यायालय के निर्देश इन्हें तोड़ने हेतु आते रहते हैं व आ रहे हैं। इस बारे सरकार की क्या राय है इन्हें बसाया जाये या नहीं, इस बारे कोई योजना है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय/माननीय मन्त्री (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने निर्देश दिए कि इन्हे नियमानुसार 2,3 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जाए जिस पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया यह मामला नाजायज कब्जा (Incrochment) का है जिसे इनके नाम करना सम्भव नहीं है। लेकिन जारी अधिसूचना सूचनानुसार प्रदेश के भुमिहीन एवं मकानहीन लोगों के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 03 बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों में 02 बिस्वा भूमि अबंटन की नीति पत्र संख्याः रैव0 बी. एफ.(1)1/2006– I, दिनांक 22 जनवरी, 2014 के द्वारा जारी कर दी गई है। पात्र प्रार्थी भू–अबंटन के लिए सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

(श्री सोहन लाल, पूर्व महापौर,नगर निगम शिमला)

9. **बाल्मिकी समुदाय द्वारा निर्मित मकानों को उनके पक्ष में नियमित किया जाये।**
(तरसेम लाल,सुजानपुर टीहरा हमीरपुर)

(राजस्व विभाग)

10. **बाल्मिकी समुदाय के जो लोग आवासहीन है उन्हें आवास हेतु दो–दो बिस्वा भूमि व जिन लोगों के पास नाम मात्र भूमि है या जो लोग भूमिहीन है उनकी पहचान कर पात्रता के आधार पर 10–10 कनाल कृषि योग्य भूमि उपलब्ध करवाई जाए।**

(श्री राजेश्वर पहवाल, सुन्दरनगर मण्डी) /(श्री मनीश कुमार,मण्डी) /(एडवोकेट दिगविजय मल्होत्रा, ज्वाली कांगड़ा)

11. **इस समुदाय के लोग हिमाचल प्रदेश में किराये के मकानों में रह रहे हैं। उनको सरकार मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध करवाने की अनुकम्पा करें ताकि यह लोग अपना घर बना कर उसमें निवास कर सकें।**
(एडवोकेट दिगविजय मल्होत्रा,ज्वाली कांगड़ा)

12. **बकलोह छावनी में ज्यादातर सफाई कर्मचारियों के पास अपना मकान एवं जमीन नहीं है। इन लोगों को मकान बनाने हेतु भूमि बारे प्रस्ताव पारित किया जाए।**

उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय/माननीय मन्त्री(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने निर्देश दिए कि इन्हे नियमानुसार 2,3 बिस्वा भूमि उपलब्ध करवाने हेतु कार्यवाही की जाए जिस पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) ने अवगत करवाया कि यह मामला नाजायज कब्जा (Incrochment) का है,,जिसे इनके नाम करना सम्भव नहीं है। लेकिन जारी अधिसूचनानुसार प्रदेश के भुमिहीन एवं मकानहीन लोगों के लिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 03 बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों में 02 बिस्वा भूमि अबंटन की नीति पत्र संख्याः रैव0 बी. एफ.

(1)1/2006– I, दिनांक 22 जनवरी, 2014 के द्वारा जारी कर दी गई है। पात्र प्रार्थी भू–अबंटन के लिए सम्बन्धित उपायुक्त कार्यालय में आवेदन कर सकता है।

(राजस्व विभाग)

13. **बाल्मिकी समाज के जो लोग पिछले 50–60 वर्षों से पंजाब और उतर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश में आए हैं उन्होंने शहर में जो जगह ली है उसकी रजिस्ट्री भी हो जाती है परन्तु इसी क्रम में जिन लोगों ने साथ लगती पंचायत क्षेत्र में जमीन ली है उनके नाम रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अतः सरकार से अनुरोध है कि गांव में भी कम से कम 5 बिस्वा जमीन हम लोगों को उपलब्ध करवा कर उसकी रजिस्ट्री भी हमारे नाम होनी चाहिए। कृपया इस तरह के नियम बना कर इस समुदाय को भी लाभान्वित किया जाए।**

(श्री चन्द्रवीर कागरा, मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ने समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिए कि मामले में उचित छानबीन कर हिमाचली प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

अतः उक्त चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

14. **सफाई कर्मचारी जो बाहर से आकर यहां सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें कम से कम दस मरले जगह खरीदने की स्वीकृति प्रदान की जाये। ताकि वह सफाई कर्मचारी अपना निवास बना सके व उनके बच्चों को जाति प्रमाण पत्र के अतिरिक्त सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके।**

(श्री तरसेम लाल, हमीरपुर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ने अवगत करवाया कि अधिसूचना अनुसार प्रदेश के भूमिहीन एवं मकानहीन लोगों के लिए सरकार ने गामीण क्षेत्रों में 03 बिस्वा तथा शहरी क्षेत्रों में 02 बिस्वा भूमि दिए जाने का प्रावधान है जहाँ तक भूमि खरीद का मामला है यदि वह यदि वह भू–स्वामी है तो वह भूमि खरीदने हेतु पात्र है अन्यथा नहीं।

अतः उक्त उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

उपायुक्त चम्बा से सम्बन्धित मदें:

15. **बकलोह छावनी में रहने वाले कई अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाने के लिए बहुत कठिनाईयां आ रही है। कृपया इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर उचित कार्यवाही की जाये।**

(श्री अशोक कुमार, चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(राजस्व) ने अवगत करवाया कि 2012 में संशोधन के मुताबिक इसके बारे में आज ही दिशानिर्देश जारी किए जा चुके है।

अतः चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित मदें:

16. **गांव कुमलाड़ी डाकघर–ककीरा से बकलोह छावनी की सड़क पूर्णतय इतनी खराब स्थिति में है कि पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। उसमें कार्यरत सफाई कर्मचारियों को रोजमर्रा काम करने में मुश्किल आ रही है। यहां यह बात उल्लेखनीय है कि यह सड़क लोक निर्माण विभाग के अधीन आती है। सम्बन्धित विभाग को सड़क की मुरम्मत के निर्देश दिए जाए।**
(श्री अशोक कुमार, चम्बा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने अवगत करवाया कि लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचनानुसार गांव कुमलाडी से बकलोह छावनी तक जाने वाली सड़क का जो भाग लोक निर्माण विभाग, चुवाडी उप–मण्डल के अन्तर्गत पड़ता है, इसके कुछ भाग की रिपेयर कर दी गई है तथा शेष भाग की मुरम्मत/रिन्यूल कोट, गर्मियों के मौसम में करना प्रस्तावित है।

उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य का बैठक में उपस्थित न होने व विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित मदें:

17. **बाल्मिकी समुदाय के सरकारी कर्मचारी चाहे वह दैनिक वेतन भोगी या पार्ट टाईम या स्थाई हैं, का हर छः माह के बाद निशुल्क स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए।**
(श्री राजेश्वर पहवाल, सुन्दरनगर मण्डी)

मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक अच्छा सुझाव है इस पर विचार किया जाऐगा। अतः स्वास्थ्य विभाग मामले को सरकार के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

शिक्षा विभाग से सम्बन्धित मदें:

18. **बाल्मिकी छात्रवृति योजना के अनुसार इस वर्ग के बच्चों को इस योजना का लाभ विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालयों में मिल रहा है या नहीं। क्योंकि मालूम हुआ है कि इस में भी इस समाज के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है।**
(श्री सोहनलाल,पूर्व महापौर,नगर निगम शिमला)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(शिक्षा) ने अवगत करवाया कि दसवीं के बाद अलग से स्कीम लागू की गई जिसमें ऑनलाईन website पर आवेदन करना पडता है यदि

चाहें तो इस योजना का ओर प्रचार करवा देंगे इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 2.50 लाख रूपये वितृत किए गए हैं **जिस पर माननीय अध्यक्ष महोद ने कहा कि शिक्षा विभाग इस योजना पर विशेष ध्यान दें।**

अतः चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

19. **नाहन शहर के वार्ड नम्बर–11 मौहल्ला रविदास में राजकीय प्राथमिक पाठशाला चकरेड़ा का संचालन पिछले 40 वर्षों से गुरू रविदास धर्मशाला में हो रहा है। इस सम्बन्ध में सरकार से अनुरोध है कि इस पाठशाला हेतु सरकारी भूमि उपलब्ध करवाई जाए तथा विद्यालय का भवन निर्माण किया जाये।**

(श्रीमती लाजवन्ती,पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद जिला सिरमौर)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि उपायुक्त सिरमौर भूमि चयन कर दें तो इसे कर दिया जायेगा जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने उपायुक्त सिरमौर को कहा कि सदस्य को साथ लेखकर भूमि का चयन कर विभाग को सूचित करें ताकि स्कूल को स्थानान्त्रित कर धर्मशाला को खाली करवाया जा सके।

(उपायुक्त सिरमौर/ शिक्षा)

20. **बाल्मिकी समुदाय के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उन्हें सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का प्राथमिकता के आधार पर लाभ मिलना चाहिए।**

(श्री तरसेम लाल,नालागढ़ सोलन)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, (शिक्षा) ने माननीय अध्यक्ष महोदय/ गैर सरकारी सदस्य को अवगत करवाया कि सभी स्कीमों का प्रचार किया जायेगा ताकि समुदाय के बच्चे योजना के लाभ से वंछित न रहे।

अतः चर्चा के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

21. **विभिन्न विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उन्हें बन्द किया जाए।**

(तरसेम लाल,नालागढ़ सोलन)

श्रम एवं रोजगार विभाग से सम्बन्धित मदें:

22. **बाल्मिकी समुदाय के पढ़े लिखे बच्चे जिन्होंने उच्च शिक्षा बीए0 बी0एड0, जी0एन0एम0 (नर्स) ए0एन0एम0 (नर्स) बाहरवीं कक्षा उतीर्ण एवं प्रशिक्षित चालक (लाईसेंस धारक), इंजिनियर हैं,**

उन्हें अभी तक सरकार द्वारा रोजगार उपलब्ध नहीं करवाया गया है। इस पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है।

(श्रीमती बविता, सुजानपुर टीहरा हमीरपुर)

विभागीय उत्तरः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) ने कहा कि श्रम एवं रोजगार विभाग से प्राप्त सूचनानुसार इस समुदाय के लिए दर्शाई गई योग्यता वाले पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी बारे सरकार स्तर पर निर्णय आपेक्षित है, क्योंकि यह नीतिगत मामला है।

इस विभाग द्वारा निजी क्षेत्र के नियोकताओं के लिए कैंम्पस साक्षात्कार तथा रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जाता है इस वित्तीय वर्ष में 31–12–2015 तक 164 कैम्पस साक्षात्कार तथा 04 रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है। जिसमें 2,674 अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र दिये गये है। इन आयोजनों में कोई भी युवा भाग ले सकता है। विभाग 20–01–2016 को चम्बा, 28–01–2016 को घुमारवीं तथा फरवरी के प्रथम सप्ताह में कुल्लू में रोजगार मेलों का आयोजन कर रहा है जिसमें उक्त समुदाय के योग्य उम्मीदवार भाग ले सकते हैं।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

भाषा एवं संस्कृति विभाग से सम्बन्धित मदें:

23. नाहन शहर के वार्ड न0–13 स्थित महार्षि बाल्मिकी जी का वर्षों पुराना बड़ा मन्दिर है, वर्तमान में यह मन्दिर जर–जर हालत में है। अतः इस महार्षि मन्दिर के जीर्णोद्धार/नये मन्दिर निर्माण के लिए अनुदान राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

(श्रीमती लाजवन्ती,पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद जिला सिरमौर)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याए एवं अधिकरिता) ने कहा है कि भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग द्वारा ऐसे धार्मिक संस्थानों/स्मारकों को उनके जीर्णोद्धार के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है, जो किः–

1. 100 वर्ष पुराना हो,
2. किसी की निजी सम्पति न हो,
3. हिमाचली संस्कृति को दर्शाते हों,
4. मुरम्मत योग्य हों या खड़े हों

विभाग के पास महार्षि बाल्मिकी मंदिर,वार्ड न0–13, नाहन शहर का कोई प्रकरण नहीं प्राप्त हुआ है। यदि इस मंदिर का प्रकरण प्राप्त होता है और यह मंदिर विभाग की उपरोक्त सहायता अनुदान योजना–17 के प्रावधानों के अनुरूप पाया जाएगा तो उस पर सहायता अनुदान देने पर विचार किया जायेगा। मद पर

चर्चा में अतिरिक्त मुख्य सचिव(भाषा एवं संस्कृति) ने कहा कि उपायुक्त सिरमौर माननीय सदस्य के साथ मौका निरीक्षण कर प्राकलन तैयार करवा कर शीघ्र सरकार को भेजें।

(उपायुक्त सिरमौर/भाषा एवं संस्कृति)

24. नाहन शहर के वार्ड न0–13 में नजदीक पैट्रोल पम्प के पास चौराहे पर महार्षि बाल्मिकी जी की मूर्ति की स्थापना कर इस चौक/मार्ग का नाम महार्षि बाल्मिकी चौक/मार्ग रखा जाए।

(श्रीमती लाजवन्ती, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याए एवं अधिकरिता) ने अवगत करवाया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग द्वारा अभी तक राष्ट्र की महान् विभूतियों जैसे इंदिरा गांधी, महाराणा प्रताप, लाल बहादुर शास्त्री, भीमराव अम्बेदकर, राजीव गांधी, रानी झांसी, तथा प्रतिष्ठित साहित्यकार यशपाल और शहीद वीर सैनिकों मेजर सोमनाथ शर्मा, विक्रम बत्तरा, सौरथ कालिया इत्यादि की मूर्तियॉं ही लगवाई गई हैं। अभी तक विभाग द्वारा किसी पौराणिक देवता, महार्षि की मूर्ति नहीं लगवाई गई है। यदि सरकार इनकी मूतिर्यों को लगवाने हेतु सैद्धांतिक अनुमति प्रदान करती है तो इनके प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

किसी भी चौक/मार्ग का नाम रखना इस विभाग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। यह जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय का कार्यक्षेत्र है।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(भाषा एवं संस्कृति) ने कहा कि उपायुक्त सिरमौर मामले में उचित छानबीन करवा कर विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही की जा सके।

उपायुक्त सिरमौर/(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

25. नाहन शहर के ऐतिहासिक शमशेर, वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बाहर चौराहे पर ''भारत के संविधान निर्माता डा0 बाबा साहिब भीम राव अम्बेदकर'' जी की मूर्ति की स्थापना की जाए।

(श्रीमती लाजवन्ती, पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद जिला सिरमौर)

विभागीय उत्तरः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकरिता) द्वारा अवगत करवाया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त सूचनानुसार अभी तक विभाग में, भारत के संविधान निर्माता डॉ0 बाबा साहिब भीमराव अम्बेदकर जी की मूर्ति नाहन शहर के शमशेर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के बाहर चौराहे पर स्थापित करने हेतु कोई अनुरोध/प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि सरकार इस हेतु अनुमति प्रदान करती है तो यह मूर्ति लगाई जा सकती है।

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव (भाषा एवं संस्कृति) ने कहा कि उपायुक्त सिरमौर मामले में उचित छानबीन करवा कर विभाग को रिपोर्ट प्रेषित करें ताकि मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा सके।

उपायुक्त सिरमौर/(भाषा एवं संस्कृति विभाग)

26. हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में बाल्मिकी मन्दिरों का निर्माण करवाया जाए जिसके निर्माण हेतु आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए।

(श्री तरसेम लाल,नालागढ़ सोलन)

विभागीय उत्तरः–

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याए एवं अधिकरिता) द्वारा अवगत करवाया कि भाषा एवं संस्कृति विभाग से प्राप्त सूचनानुसार विभाग के पास नये मंदिरों के निर्माण हेतु कोई सहायतानुदान योजना नहीं है।

अतः विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित मदें:

27. हम सभी सदस्यों को सरकार द्वारा यह भी मान्यता दी जाए कि हम अपने समुदाय से मिलकर बैठक कर सके ताकि उनकी समस्याओं की जानकारी हमें मिल सके और हम उनकी समस्या को माननीय अध्यक्ष जी के पटल पर रख कर उनका समाधान करवा सके। यह भी निवेदन है कि उक्त व्यय हमें वहन करना पडेगा या सरकार से कोई विशेष भत्ता प्राप्त होगा।

(श्रीमती मीना भारती,नगरोटा बगवां कांगड़ा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव(सामाजिक न्याए एवं अधिकरिता) द्वारा अवगत करवाया कि बाल्मिकी समुदाय की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाने तथा उनका यथा सम्भव समाधान करने के उद्देश्य से ही हि0 प्र0 बाल्मिकी कल्याण बोर्ड़ का गठन किया गया है। अतः सभी मनोनीत गैर सरकारी सदस्य अपने समुदाय की समस्याओं को इस बोर्ड की आयोजित होने वाली बैठको के माध्यम से सरकार के ध्यान में ला सकते है। इन बैठको में भाग लेने हेतु गैर सरकारी सदस्यों को नियमानुसार सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता प्रदान किया जाता है।

आयोजित बैठक में माननीय सदस्य का उपस्थित न होने तथा विभागीय उत्तर के दृष्टिगत मद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

28. बाल्मिकी कल्याण बोर्ड़ के सदस्यों को सरकार द्वारा बाल्मिकी कल्याण बोर्ड के लैटर पैड बनाकर देने का प्रावधान किया जाए ताकि किसी भी मन्त्री या प्रशासन से अपने समुदाय के लोगों के छोटे मोटे काम करवा सकें।

(श्रीमती मीना भारती,नगरोटा बगवां कांगड़ा)

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)

शहरी विकास विभाग से सम्बन्धित मदें:

29. नाहन नगर परिषद में वर्ष 1971 में 65 सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत थे। 44 वर्षों में नाहन शहर की आबादी व एरिया दो गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। उक्त परिषद में वर्तमान में 20 कर्मचारी सेवा निवृत हो चुके हैं। उक्त के दृष्टिगत, परिषद में 25 सफाई कर्मचारियों की भर्ती दैनिक वेतन भोगी व अनुबन्ध आधार पर की जाए।

(श्रीमती लाजवन्ती,पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका परिषद जिला सिरमौर)

मद पर चर्चा के दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव(शहरी विकास) द्वारा अवगत करवाया गया कि वार्ड नम्बर 5,6,12 व 13 में Out sorsing के माध्यम वर्तमान में 44 कामगार है जिन्हें अनुबन्ध आधार पर करने बारे निर्णय लिया जायेगा ।

(शहरी विकास विभाग)

अतिक्ति मदें माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. समुदाय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय को अवगत करवाया कि ''बाल्मिकी सदभावना पुरस्कार'' प्रति वर्ष दिया जाए

उक्त मद पर चर्चा के दौरान माननीय अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मामले में उचित कार्यवाही करें। जिस पर माननीय मन्त्री (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) ने माननीय अध्यक्ष महोदय को अश्वासन दिया कि यह एक नीतिगत मामला है जैसा भी उचित होगा कर लिया जायेगा।

अतः उक्त चर्चा के दृष्टिगत प्रस्ताव तैयार कर मामला सरकार को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

****

अनुबन्ध ''क''

दिनांक 10 फरवरी, 2016 को सांय 3:00 बजे, माननीय मुख्यमन्त्री हिमाचल प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित हि0प्र0 बाल्मीकी कल्याण बोर्ड़ की प्रथम में भाग लेने वाले सरकारी/गैर सरकारी सदस्यों की उपस्थिति सूचीः–

क्रमांक	सरकारी सदस्य	क्रमांक	गैर सरकारी सदस्य
1.	श्री पी0 मित्रा मुख्य सचिव,हि0प्र0 सरकार	1.	श्री सोहन लाल, पूर्व महापौर, नगर निगम शिमला जिला शिमला
2.	श्री अजय मितल, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार	2.	श्री जेनी प्रेम पूर्व पार्षद नगर निगम शिमला जिला शिमला
3.	श्री विनीत चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार	3.	श्री इन्दर सिंह, जिला चम्बा
4.	श्रीमती उपमा चौधरी, अतिरिक्त मुख्य सचिव हि0 प्र0 सरकार	4.	श्री सुरेश जिला चम्बा
5.	श्री तरूण श्रीधर, अतिक्ति मुख्य सचिव हि0प्र0 सरकार	5.	श्री कुशल कुमार, जिला चम्बा
6.	श्री वी0सी फारका अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार	6.	श्री नील कमल जिला कांगड़ा
7.	श्री पी0सी0 धीमान,अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार	7.	श्री कमल किशोर जिला कांगड़ा
8.	श्री सजीव गुप्ता, अतिक्ति मुख्य सचिव (हि0प्र0) सरकार	8.	श्री रिंकू मशी शोटा, जिला कांगड़ा
9.	श्री अक्षय सूद विशेष सचिव, (वित्त) हि0प्र0 सरकार	9.	एववोकेट दिगविजय मल्होत्रा, जिला कांगड़ा
10.	श्री ओंकार शर्मा सचिव,(ग्रा0विकास पं0 राज/युवा खेल सेवाऐ शिमला–9	10.	श्री रमेश चन्द, जिला कांगड़ा
11.	सदीप भटनागर, निदेशक (अनु0जाति0 अन्य पिछड़ा वर्ग एंव अल्पसंख्यक मामले हि0प्र0 शिमला–9	11.	श्री जगदीश चन्द, जिला कांगड़ा
12.	श्री संजीव भटनागर, विशेष सचिव, हिमाचल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग शिमला–9	12.	श्री केसर सिंह, जिला कांगड़ा
13.	डा0 डी0एस0 गर्ग निदेशक,(स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण) हि0प्र0 शिमला–9	13.	श्रीमती मीना कुमारी भारती, जिला कांगड़ा
14.	दिनेश बुराथोकी निदेशक, (उच्च शिक्षा) हि0प्र0 शिमला–1	14.	श्री रमन गिल, जिला कांगड़ा
15.	प्रबन्ध निदेशक, अनुसूचित जाति एवं जन जाति विकास निगम सोलन (हि0प्र0)	15.	श्री श्री संजय कुमार, जिला कांगड़ा
16.	श्री ए0सी0 शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हस्तशिल्प एव हथकरधा निगम शिमला –9	16.	श्री सोनू गुडवालिया, जिला कांगड़ा
17.	श्री विकास लाबरू,प्रबन्ध निदेशक हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित विकास निगम कांगड़ा	17.	श्री राजा ,जिला कुल्लू
18.	श्री के0 आर0 सैहजल, उप सचिव,(लोक निर्माण) हि0प्र0	18.	श्री राज कुमार ,जिला कुल्लू
19.	श्री घनश्याम चन्द राज्य परियोजना निदेशक (युवा खेल सेवाए) यु0 एस0 कल्ब शिमला–1	19.	श्री कमलू राम ,जिला कुल्लू
20.	श्री जितेन्द्र साजटा अतिरिक्त निदेशक,(उद्योग) हि0प्र0 शिमला–1	20.	श्री विज्य कुमार ,जिला मण्डी
21.	श्री बी0सी0 बड़ालिया उपायुक्त, सिरमौर स्थित नाहन हि0प्र0	21.	श्री राजेश पाऊल ,जिला मण्डी
22.	श्रीमती एम0 सुधा देवी,उपायुक्त चम्बा हि0प्र0	22.	श्री पुणे चन्द ,जिला मण्डी
23.	श्री रोबिन जोजे संयुक्त निदेशक(प्रशासन), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9	23.	श्री चन्दवीर कांगरा,जिला मण्डी
24.	श्री ए0सी0 चौहान,सयुक्त निदेशक(कल्याण), अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9	24.	श्री संजीव मट्टू,जिला मण्डी
25.	अजय वर्मा, सहायक नियन्त्रक,वित एव लेखे) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9	25.	श्री राजेश कौण्डल,जिला मण्डी

26.	श्री कृष्ण शर्मा, उप निदेशेक(रोजगार) हि0प्र0 शिमला–1	26.	श्री मनीश कुमार,जिला मण्डी
27.	श्री सुरिन्द्र कुमार अवर सचिव (सामन्य प्रशासन)	27.	श्री कृष्ण चन्द,जिला मण्डी
28.	श्री एम0 एल0 शर्मा,उप निदेशर्क,(अनु0जाति उप यो0)अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9	28.	श्री सतपाल,जिला मण्डी
29.	श्री आर0 एस0 गुलेरिया, उप निदेशक महिला एव बाल विकास शिमला–1	29.	श्रीमती बबीता कुमारी, जिला हमीरपुर
30.	श्री ऐ0जे0 डोगरा, जिला कल्याण अधिकारी(मु0) अनु0 जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले) हि0प्र0 शिमला–9	30.	श्री तरसैम लाल,जिला हमीरपुर
31.	श्री प्रताप सिह नेगी,जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू प्रतिनिधि उपायुक्त कुल्लू	31.	श्री यशपाल सिंह,जिला हमीरपुर
32.	श्री मनीश पंडित, प्रेस सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश	32.	श्री सोरब, जिला हमीरपुर
33.	इ0 राकेश गुप्ता प्रमुख अभियन्ता (हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	33.	श्री विशाल,जिला हमीरपुर
34.	श्री अशोक चौहान प्रमुख अभियन्ता(हि0प्र0 लो0नि0वि0) शिमला–2	34.	श्री मनू भाटिया,जिला हमीरपुर
.		35.	श्री अतुल कुमार,जिला हमीरपुर
		36.	श्री विजय नाहर ,जिला हमीरपुर
		37.	श्री देवेन्द्र कुमार,जिला हमीरपुर
		38.	श्री मनोज कुमार, जिला बिलासपुर
		39.	श्री अशोक कुमार, जिला बिलासपुर
		40.	श्री सजीव , जिला बिलासपुर
		41.	श्री तरसेम लाल, जिला बिलासपुर
		42.	श्री देश कुमार, जिला बिलासपुर
		43.	श्री भूषणकुमार बारा, जिला बिलासपुर
		44.	श्री सुरेन्द्र कुमार, जिला बिलासपुर
		45.	श्री जगदीश कुमार, जिला सोलन
		46.	श्रीविजय कुमार, जिला सिरमौर
		47.	श्रीमती लाजवन्ती, जिला सिरमौर
		48.	श्री जय पाल सिंह, जिला सिरमौर
		49.	श्री सोम चन्द, जिला सिरमौर
		50.	श्री सुरजीत कुमार, जिला सिरमौर
		51.	श्री एम0एल0 नाहर, जिला शिमला
		52	श्री ओम प्रकाश भटिया, जिला शिमला
		53.	श्री राम राज, जिला शिमला
		54	श्री ओम प्रकाश, जिला शिमला
		55.	श्री भान चन्द, जिला शिमला
		56.	श्री मोहन चन्द, जिला शिमला
		57.	श्री मस्त राम